# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

*(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)*

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

us.kaviniviniyam@uppcl.org

0522–2218329/2218420


पत्र सं0 #Document Number# कविनी एवं विनियम-29 कम्पयू0सं0-22532 दिनांक 23-01-2026

I-38718/2026

## कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.11.2025 को सम्पन्न 216(22)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, **उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली-1984 (यथा संशोधित)** के अन्तर्गत निम्नानुसार सीधी भर्ती के पद पर त्वरित एवं पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु, स्तम्भ-01 के अनुसार लागू अद्यतन व्यवस्था को एतद्द्वारा नवीन व्यवस्था (स्तम्भ-02) से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

| अद्यतन व्यवस्था | नवीन व्यवस्था |
|---|---|
| स्तम्भ-1 | स्तम्भ-2 |
| **Regulation no-17(A) of PART-5 :**<br><br>(i) Direct recruitment to the posts of (Account office and others) shall be made through a written competitive examination and interview which will be held in such manner, in such subjects and at such place as may be prescribed by Appointing Authority from time to time.<br><br>(ii) The minimum qualifying percentage of marks at the written examination on which the candidates will be called for interview shall be such as may be prescribed by the Appointing Authority from time | **वेतनमान -**<br><br>**लेखाधिकारी**<br><br>समम् वेतन लेवल-10 (रू0-56100-177500) (5400/-ग्रेड पे)<br><br>शैक्षिक योग्यता : CA अथवा CMA<br><br>**सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति/चयन हेतु प्रक्रिया -**<br><br>1. चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग या इसी प्रकार की अन्य किसी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जायेगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जा रही है, इन नियमों में उसे भर्ती संस्था कहा जायेगा।<br><br>2. चयन हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिनके द्वारा CA अथवा CMA की अन्तिम (Final) परीक्षा को, उक्त कोर्स में पंजीकरण की तिथि से 05 वर्षो के |

| | |
|---|---|
| to time.<br>(वर्तमान में कुल 200 अंको की परीक्षा आयोजित की जाती है। साक्षात्कार हेतु 12.5 प्रतिशत का Weightage दिया जाता है।) | अन्तर्गत परीक्षा में सम्मिलित होते हुए उत्तीर्ण किया गया हो।<br>3. CA एवं CMA की पृथक-पृथक परीक्षाओं के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को Normalized कर लिया जायेगा। Normalized Score* (100 अंकों) के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।<br>4. साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के अधिकतम 5 गुने तक होगी।<br>5. शार्टलिस्टिंग हेतु कटऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जायेगा।<br>6. शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा, जिसका Weightage Normalized Score के अधिकतम प्राप्तांक (100 अंकों) का 12.5 प्रतिशत होगा।<br>7. मेरिट सूची अभ्यर्थी के Normalized Score (100 अंकों के आधार पर) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग (अर्थात कुल अधिकतम योग 112.5, के सापेक्ष प्राप्त अंकों) के आधार पर बनायी जायेगी।<br>8. मेरिट सूची हेतु कटऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जायेगा। |

*(ii) CA अथवा CMA की परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का Normalization निम्नवत् फार्मूले के आधार पर विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा -

Xn = S2/S1 * (X-Xav) + Yav

जहाँ पर

S2-is the Standard Deviation of the shift with the highest average score taken as base for Normalization.

S1- Standard Deviation for the Corresponding Shift (to be scaled to S2)

X – Raw score of candidate.

Xav – Simple Average of the candidate shift.

Yav – Average Corresponding to shift with highest average (taken as base for Normalization)

**(iii)** चयन हेतु निर्धारित भर्ती संस्था द्वारा तैयार की जाने वाली अन्तिम मेरिट सूची में 25 प्रतिशत अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पदवार/श्रेणीवार श्रेष्ठता क्रम में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा, बशर्ते उक्त अभ्यर्थी भर्ती संस्था द्वारा नियत किए गए कट-ऑफ से ऊपर हों। उक्त प्रतीक्षा सूची Appointing Authority (नियोक्ता प्राधिकारी) द्वारा निर्धारित/विस्तारित समयावधि में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न किये जाने अथवा नियुक्ति उपरान्त त्याग-पत्र दिये जाने की स्थिति में प्रयोग में लायी जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची भर्ती संस्था द्वारा संस्तुति किये जाने के एक वर्ष अथवा नया विज्ञापन निकलने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।

**(iv)** सेवा विनियमावली के अन्तर्गत विद्यमान विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जायेगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अधिकृत होंगे।

**(v) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली-1984 (यथा संशोधित)** को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। शेष अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से,**

**पत्र सं0 #Document Number# काविनी एवं विनियम-29 तद्दिनांक 23-01-2026**
I-38718/2026

*प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-*

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0- वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0-मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0-लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0-आगरा/केस्को, कानपुर एवं यू०पी०आर०ई०वी० के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन,

लखनऊ।

7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।

10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।

11. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दि० 12.11.2025 को 216(22)वीं बैठक में पारित निर्णय के अनुपालन में।

16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

17. पत्रावली सं0-07-विनियम/18 (TC)(A.S.R/85) में अभिलेखार्थ।

आज्ञा से,

23/01/26

(अंजू)
अनुसचिव (काविनी एवं विनियम)